

**झारखण्ड लोक सेवा आयोग**  
**सर्कुलर रोड, रांची – 834001**

**विज्ञापन**

विज्ञापन संख्या–05 / 2013

ऑनलाईन (Online) आवेदन प्राप्ति की  
अंतिम तिथि—22.04.2015

मुद्रित (Printout) हस्ताक्षरित प्रति, चालान एवं सभी वांछित प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति आयोग कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि—29.04.2015

**चिकित्सा पदाधिकारी (मूल कोटि) बैकलॉग नियुक्ति परीक्षा**

झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक—3 / विविध—01—63 / 2012—409(3) दिनांक—27.03.2015 के आलोक में आयोग द्वारा पूर्व प्रकाशित विज्ञापन संख्या— 05 / 2013 को आंशिक रूप से निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है :—

“ विज्ञापित रिक्ति के पाँच गुणा से कम या पाँच गुणा के अनुपात के आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में झारखण्ड लोक सेवा आयोग साक्षात्कार समिति द्वारा सीधे साक्षात्कार के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को चयन कर अनुशंसा प्रेषित करेगा”।

चिकित्सा पदाधिकारी (मूल कोटि) के रिक्ति के विरुद्ध कुल 71 (इकहत्तर) पदों की बैकलॉग नियुक्ति हेतु इच्छुक एवं अहताधारी भारतीय नागरिकों से विहित—प्रपत्र में Online आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं।

वैसे आवेदक जिन्होने विज्ञापन संख्या—05 / 2013 के आलोक में आवेदन पत्र समर्पित किये है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

- पद का नाम – चिकित्सा पदाधिकारी (मूल कोटि) Medical Officer (Basic Cadre)
- विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या इस विज्ञापन में निम्नवत् है :—

S.No	Category	No. of vacancies	No. of Posts reserved for the physically handicapped
1	2	3	4
i	SC	29	
ii	ST	07	
iii	BC-I	28	
iv	BC-II	07	
Total of (i) to (iv)		71	3%

(नोट :- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार की अधियाचना के अनुसार कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट—बढ़ सकती है।)

3. वेतनमान — 9,300 – 34,800 (Grade Pay – 5400)  
 4. पद — स्थायी  
 5. परीक्ष्यमान अवधि — 2 (दो) वर्ष  
 6. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता :—

I. **शैक्षणिक योग्यता** :— आवेदक को भारतीय चिकित्सा परिषद्/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से एम0बी0बी0एस0 की उपाधि प्राप्त करना आवश्यक होगा तथा आवेदक को चिकित्सक के रूप में भारतीय चिकित्सा परिषद्/राज्य चिकित्सा परिषद् से निबंधन संख्या प्राप्त करना भी आवश्यक है।

I. **अनुभव**— आवेदक को भारतीय चिकित्सा परिषद्/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल से कम से कम एक वर्ष की इन्टर्नशिप प्राप्त होना आवश्यक है।

7. **उम्र सीमा की संदर्भ तिथि** :— 01.01.2013

- (क) न्यूनतम उम्र सीमा — 22 वर्ष अर्थात जन्म तिथि 02.01.1991 के बाद का न हो।  
 (ख) अधिकतम उम्र सीमा — कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार का ज्ञापांक—2096, दिनांक—25.04.2011 के अनुसार :—

क्र0 सं0	कोटि	अधिकतम उम्र सीमा	जन्म तिथि को अथवा के बीच	शारीरिक रूप से अक्षम/ सरकारी सेवक के लिए
1.	पिछङ्गा वर्ग—I / पिछङ्गा वर्ग-II	37 वर्ष	02.01.1976 से 01.01.1991	42 वर्ष (02.01.1971 से 01.01.1991)
2.	महिला (अनारक्षित / पिछङ्गा वर्ग—I / पिछङ्गा वर्ग-II)	38 वर्ष	02.01.1975 से 01.01.1991	43 वर्ष (02.01.1970 से 01.01.1991)
3.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	40 वर्ष	02.01.1973 से 01.01.1991	45 वर्ष (02.01.1968 से 01.01.1991)

(ग) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार का ज्ञापांक—360, दिनांक—21. 01.2003 के अनुसार :—राज्य सरकार के वैसे सरकारी कर्मी जिन्होंने लगातार तीन वर्षों की सरकारी सेवा पूरी कर ली हो, उन्हें निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष का छूट देय है।

8. **नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया** :— नियुक्ति हेतु चयन निम्न प्रकार किया जायेगा।

(i) झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य सेवा (भर्ती, प्रोन्ति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली 2010 के नियम 21(iii) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमावली के नियम 10(ii) के बाद उप नियम 10(iii) निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :—10(iii) विज्ञापित रिक्ति के पाँच गुण से कम या पाँच गुण के अनुपात के आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में झारखण्ड लोक सेवा आयोग साक्षात्कार समिति द्वारा सीधे साक्षात्कार के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को चयन कर अनुशंसा प्रेषित करेगा।

- (ii) A. In case the number of candidates exceeds three times of the vacancy then candidates shall be selected for interview on the basis of their career marks to be calculated on the basis of percentage of marks obtained in each examination from Matriculation upto the level of minimum qualification required. The percentage of marks shall be added together and divided by the number of examinations and a merit list accordingly prepared.
- B. Marks to be awarded in the interview/viva voce test shall be in the ratio of 100 (hundred) marks for academic achievement and 100 (hundred) marks for interview/viva voce test.
- C. Mode of distribution of marks of academic achievement shall be decided by a Committee of Members including the Chairman, Members of the Committee shall be nominated by the Chairman. Decision of the Committee shall be deemed to be decision of the Commission.
- D. No extra Weightage shall be provided for higher education except required minimum educational qualification fixed as per Advertisement.

#### 9. न्यूनतम अर्हतांक :—

मौखिक परीक्षा में राज्य सरकार के संकल्प ज्ञापांक-13026 दिनांक-27.11.2012 द्वारा निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा :—

पिछ़ा वर्ग-I	34 प्रतिशत
पिछ़ा वर्ग-II	36.5 प्रतिशत
अनुसूचित जाति / जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत

10. अवसरों की संख्या— कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक— 2959 दिनांक— 03.04.2013 द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के अवसरों को निम्न रूप से रखा गया है :—

- (क) पिछ़ा वर्ग—I / पिछ़ा वर्ग-II के पुरुष  
उम्मीदवारों के लिए — पाँच अवसर
- (ख) महिला (पिछ़ा वर्ग—I / पिछ़ा वर्ग-II के  
उम्मीदवारों के लिए) — छ: अवसर
- (ग) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष  
सीमा नहीं एवं महिला उम्मीदवारों के लिए — अवसरों की कोई

#### 11. आरक्षण :—

- (क) **ऑनलाइन (Online)** आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोटि में शामिल किया जायेगा।

- (ख) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को झारखण्ड राज्य के सक्षम स्तर के पदाधिकारी अर्थात् उपायुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। झारखण्ड राज्य के बाहर के जाति प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी के लिए आरक्षण के लाभ हेतु किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा। केन्द्रीय सरकार के अधीन नियोजन/शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के उद्देश्य से निर्गत पिछड़ी जाति (OBC) का प्रमाण पत्र भी अमान्य होगा एवं आरक्षण का दावा अनुमान्य नहीं होगा।
- (ग) झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण संबंधी नियम प्रभावी होंगे। अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी जाति के हों, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथा वे अनारक्षित कोटि के उम्मीदवार माने जायेंगे।
- (घ) झारखण्ड राज्य के उम्मीदवार, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग –I (BC-I)/पिछड़ा वर्ग-II (BC-II) के हैं, को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्यान्तर्गत उपायुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से क्रमशः कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार का ज्ञापांक— 5682, दिनांक— 22.10.2008 एवं ज्ञापांक—10007, दिनांक— 29.08.2012 द्वारा निर्गत निर्धारित विहित प्रपत्र—I अथवा प्रपत्र-II का विवरण [ऑनलाईन](http://www.jpsc.gov.in) आवेदन पत्र में प्रविष्ट करना तथा सम्बंधित प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति मुद्रित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि के माने जायेंगे। निर्धारित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर उपलब्ध है।
- (ङ.) आवेदन के प्राप्ति की अंतिम तिथि तक आरक्षण हेतु संलग्न विहित प्रपत्र—I एवं प्रपत्र-II में जाति प्रमाण पत्र, जिसे आयोग द्वारा अन्तर्विक्षा के समय प्रमाण पत्र सत्यापन प्रक्रिया के दौरान मूल रूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा किसी भी स्तर पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
- (च) विकलांग कोटे के आरक्षण के दावे की स्थिति में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प –7281 दिनांक—07.11.2007 के आलोक में केवल ऐसे उम्मीदवार सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगे, जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हों तथा आरक्षण का लाभ उठाने हेतु संकल्प की अनुबंध—1 में दिए गए प्रारूप में सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा (विहित प्रारूप आयोग के वेबसाईट—[www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर उपलब्ध है)।

## **12. (i) कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणामः—**

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise temper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such

documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of:

- a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
- b) Impersonating, or
- c) Procuring impersonation by any person, or
- d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
- g) Using unfair means during the test, or
- h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
- i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
- k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/ Interview room.
- l) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
  - (i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
  - (ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-
  - (iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate

**(ii) कदाचार के लिए कार्यवाही :-**

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गए अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

**(iii) पूर्व के कदाचार का प्रभाव:-**

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

### 13. परीक्षा शुल्क :—

- (i) पिछड़ा वर्ग –I/पिछड़ा वर्ग-II के लिए चालान द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के किसी भी शाखा के माध्यम से 400.50/- ₹0 परीक्षा शुल्क + 17.50/- ₹0 Online Application शुल्क + 50.00/- ₹0 बैंक चार्ज, कुल –468.00/- ₹0 एवं झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 100.50/- ₹0 परीक्षा शुल्क + 17.50/- ₹0 Online Application शुल्क + 50.00/- ₹0 बैंक चार्ज, कुल –168.00/- ₹0 देय होगा। (अगर तकनीकी कारणों से **Online Application** जमा नहीं कर पाते हैं तो आवेदक **Offline** आवेदन जमा कर सकते हैं इस हेतु कोटिवार परीक्षा शुल्क पिछड़ा वर्ग –I/पिछड़ा वर्ग-II के लिए चालान द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के किसी भी शाखा के माध्यम से 400.00/- ₹0 परीक्षा शुल्क 50.00/- ₹0 बैंक चार्ज, कुल–450.00/- ₹0 एवं झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 100.00/- ₹0 परीक्षा शुल्क + 50.00/- ₹0 बैंक चार्ज, कुल–150.00/- ₹0 देय होगा।)
- (ii) Offline Payment के लिए चालान आयोग के वेबसाईट—[www.ipsc.gov.in](http://www.ipsc.gov.in) से डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है।
- (iii) विकलांगों अभ्यर्थियों (कम से कम 40% संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है, परन्तु ऑनलाईन शुल्क 17.50/- ₹0 एवं बैंक शुल्क 50.00/- ₹0 देय होगा। (अगर तकनीकी कारणों से **Online Application** जमा नहीं कर पाते हैं तो आवेदक **Offline** आवेदन जमा कर सकते हैं अब आवेदन हेतु विकलांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट देय होगा।)
- (iv) चालान की एक प्रति “JPSC’s Copy” ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र के Printout (मुद्रित प्रति) के साथ मूल रूप में निश्चित रूप से संलग्न करें तथा तीसरी प्रति “Depositor’s Copy” अपने पास सुरक्षित रखें।
- (v) **Online Application** पत्र किसी भी कारण से अस्वीकृत होने पर परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
- (vi) परीक्षा शुल्क में छूट के लिए अनु०जाति एवं अनु० जन जाति कोटि के उम्मीदवार जो झारखण्ड के स्थायी निवासी हैं, को सक्षम स्तर पदाधिकारी अर्थात् उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से निर्गत विहित प्रपत्र—। में जाति प्रमाण पत्र **Online** आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। झारखण्ड राज्य के बाहर के जाति प्रमाण

पत्र धारक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा शुल्क में छूट हेतु किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा। जाति प्रमाण पत्र हेतु विहित प्रपत्र—I आयोग के वेबसाईट—[www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर उपलब्ध है।

- (vii) परीक्षा शुल्क में छूट के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र **Online** आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति के साथ निर्धारित विहित प्रपत्र सक्षम पदाधिकारी से निर्गत संलग्न करना अनिवार्य है। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट—[www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर उपलब्ध है।

#### 14. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश :—

- (क) ऑनलाईन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व आयोग के अधिकृत वेबसाईट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर **Online Application TAB** के अन्तर्गत आवेदन कैसे करें। “How to Apply” अवश्य पढ़े।
- (ख) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाईट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर Online Application System के माध्यम से स्वीकार किया जायेगा।
- (ग) चयन हेतु आवेदन की हस्ताक्षरयुक्त मुद्रित प्रति के साथ सभी स्वहस्ताक्षरित वांछित प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं चालान की “JPSC’s Copy” को मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी। चयन में अभ्यर्थी द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी।
- (घ) **Online Application System** के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन फोटोग्राफ (पासपोर्ट साईज—21 to 50 KB) एवं हस्ताक्षर Scan (साईज—10 to 20KB) कर संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
- (ङ) **Online** आवेदन भरते समय आवेदक शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विवरणी :—
- (i) एम०बी०बी०एस० डिग्री प्रमाण पत्र (ii) एम०बी०बी०एस० अंक पत्र (iii) मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल से कम से कम एक वर्ष का इन्टर्नशिप का प्रमाण पत्र (iv) चिकित्सा परिषद द्वारा निर्गत स्थायी निबंधन प्रमाण पत्र (v) उम्र संबंधी प्रवेशिका (मैट्रिक) प्रमाण पत्र या इसके समकक्ष (vi) मैट्रिक अंक प्रमाण पत्र (vii) इंटरमीडियट प्रमाण पत्र (viii) इंटरमीडियट अंक प्रमाण पत्र (ix) मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो) (x) जाति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो) आदि ऑनलाईन आवेदन पत्र में निर्धारित कंडिक्याओं में अवश्य प्रविष्टि करेंगे तथा साक्षात्कार के समय जाँच के क्रम में उपरोक्त प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं ऑनलाईन आवेदन में दी गयी सूचना तथा साक्षात्कार के समय दी गयी सूचना में भिन्नता होने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी तथा इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- (च) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में सक्षम पदाधिकारी/नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र जाँच के क्रम में प्रस्तुत करेंगे अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

- (छ) ऑनलाईन आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (ज) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (झ) आवेदन पत्र हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (**BLOCK LETTERS**) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए। आवेदन पत्र भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।
- (ज) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी (Spelling) वहीं लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट एवं अंक पत्र में अंकित है।
- (ट) जन्म तिथि—आवेदक मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, अंकित जन्म तिथि यथा तिथि, महीना और वर्ष आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर प्रविष्ट करें।

**15. अंतिम तिथि :-**

- (क) आवेदक Online Application System के माध्यम से **दिनांक 15.04.2015** से **22.04.2015** रात 12:00 बजे तक ही Online आवेदन कर सकते हैं (अगर तकनीकी कारणों से Online Application जमा नहीं कर पाते हैं तो आवेदक Offline आवेदन दिनांक 29.04.2015 तक जमा कर सकते हैं) तथा Online आवेदन की हस्ताक्षरयुक्त मुद्रित प्रति, एम०बी०बी०एस० डिग्री प्रमाण पत्र, एम०बी०बी०एस० अंक पत्र, मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल से कम से कम एक वर्ष का इन्टर्नशिप का प्रमाण पत्र, चिकित्सा परिषद द्वारा निर्गत स्थायी निबंधन प्रमाण पत्र, उप्र संबंधी प्रवेशिका (मैट्रिक) प्रमाण पत्र या इसके समकक्ष, मैट्रिक अंक प्रमाण पत्र, इंटरमीडियट प्रमाण पत्र, इंटरमीडियट अंक प्रमाण पत्र, मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकलागता प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो), जाति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो) एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो) आदि की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति एवं चालान की “JPSC’s Copy” के साथ आयोग कार्यालय को **दिनांक—29.04.2015** संध्या—5:00 बजे तक भारतीय डाक निबंधित/स्पीड पोस्ट या हाथों—हाथ निश्चित रूप से “परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची— 834001 के पते पर प्रेषित करेंगे।
- (ख) लिफाफे के ऊपर बड़े—बड़े स्पष्ट अक्षरों में आवेदित पद का नाम एवं विज्ञापन संख्या यथा:- चिकित्सा पदाधिकारी (मूल कोटि) बैकलॉग नियुक्ति, विज्ञापन संख्या—05 / 2013 मोटे अक्षरों में आवश्यक रूप से अंकित करेंगे। अन्यथा ऐसे लिफाफे जिनपर विज्ञापन संख्या एवं विज्ञापित पद का नाम अंकित नहीं होंगे, उन्हें खोला नहीं जा सकेगा, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- (ग) विलंबित डाक/आवेदक के स्वयं के कारणों अथवा किसी अन्य कारणों से समय—सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे और आयोग उन पर विचार नहीं करेगा तथा इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

सचिव,  
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।